केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
राजभाषा अनुभाग

सं 20-2/13/18-राभा | **दिनांक 10.12.2018**

कार्यालय ज्ञापन

विषय - राजभाषा मॉनीटरन समिति की बैठक दिनांक 05.12.2018

निदेशक महोदय द्वारा गठित राजभाषा मॉनीटरन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05.12.2018 को पूर्वाहन 11:00 बजे श्री सुनील जैन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, पीईडी के कक्ष में संपन्न हुई । इस बैठक में संसदीय राजभाषा की दूसरी उप समिति द्वारा संपन्न निरीक्षण में संस्थान को दिए गए दिशा-निर्देशों को पूरा करने तथा राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संस्थान की राजभाषा मॉनीटरन समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं -

1. संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे फाइलों तथा कंप्यूटर पर हिंदी में किए जाने वाले कार्य की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास करें ।
2. संस्थान के कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु सभी कार्मिकों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाए जिसके लिए वॉइस टाइपिंग, टेक्स्ट टू स्पीच एवं रोमन टाइपिंग आदि का उपयोग किया जा सकता है ।
3. संस्थान 'क' क्षेत्र में स्थित है, अतः राजभाषा के नियमों के अनुसार पत्र भेजने वाले एवं इन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के **उत्तर हिंदी में ही दें** ।
4. संस्थान में उप सचिव/समकक्ष तथा उच्चाधिकारियों द्वारा हिंदी में किए जाने वाले कार्य की मात्रा बढ़ाई जाए ।
5. संस्थान में उप सचिव/समकक्ष तथा उच्च स्तर के अधिकारी हिंदी में अधिक से अधिक डिक्टेशन दें ।
6. प्रशासन नियंत्रक व प्रभाग प्रमुखों के स्तर पर एवं निदेशक कार्यालय से फाइलों पर हिंदी की टिप्पणियां अधिकाधिक की जाएं व उनकी ओर से भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी अथवा **हिंदी में ही भेजे जाएं ।**
7. हिंदी कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभागीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार पाने वाले कार्मिकों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने का प्रयास किया जाए ।
8. प्रत्येक अनुभाग व प्रभाग अपनी सेवाओं, सुविधाओं, उपकरणों एवं प्रदर्शन सामग्री (डिस्प्ले) आदि का विवरण हिंदी में भी उपलब्ध कराएं ।
9. प्रत्येक अनुभाग व प्रभाग तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़ों के समर्थन में पत्राचार, टिप्पणी लेखन एवं धारा 3(3) के संदर्भ में **रिकॉर्ड/रजिस्टर का अद्यतन रखरखाव** करें ।
10. प्रत्येक तिमाही में एक/अधिक अनुभाग/प्रभाग के हिंदी कार्य का मूल्यांकन करने हेतु राजभाषा मॉनीटरन समिति द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा । वर्तमान तिमाही में आईएलटी प्रभाग का निरीक्षण किया जाएगा । निरीक्षण हेतु निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रभाग के हिंदी कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा ।

संस्थान के सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

सतीश चन्द्र 11/12/18
(सतीश चंद्र)
निदेशक, सीआरआरआई

प्रतिलिपि -

1. निदेशक महोदय का कार्यालय ।
2. सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख : व्यापक परिचालन एवं सभी संबंधितों के द्वारा अनुपालन हेतु ।
3. राजभाषा मॉनीटरन समिति के सभी सदस्य ।
4. प्रमुख, सीसीएन : संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु ।
5. कार्यालय प्रति
6. सूचना पट्ट